I/3121292/2025

भारतसरकार / GOVERNMENT OF INDIA
रेलमंत्रालय/ MINISTRY OF RAILWAYS
रेलवेबोर्ड/ RAILWAY BOARD

MOST URGENT

RBA No. 08/2025
GST Circular No . 03/2025

No.2017/AC-II/1/6/GST/Main-Vol. IV **27th March, 2025**

General Managers,
All Zonal Railway/Production Units

Sub: Review of Input Tax Credit and its Accountal thereof in March'2025 Accounts.
Ref.: GST Accounting Procedure : Input Tax Credit- RBA No. 78/2017 / GST Circular No. 22 dated 22.06.2017.

-x-x-x-

Railway Board has been issuing instructions to Zonal Railways and Production Units from time to time relating to strict compliance of GST. It was advised that review of Input Tax Credit (ITC) should be done diligently and corrections (if required) should be carried out in ITC Flagging as per GST Rules. Facility is available in IPAS to carry out such corrections. Further detailed instructions were issued vide RBA No. 78/2017 dated 22.06.2017 bringing out the detailed Accounting entries to be carried out in Accounts, correctly reflecting the GST paid on Inputs in Final Head of Accounts or in Miscellaneous Advance Account (in case of T4 or C2 Flags), so that the Accounts reflect true Expenditure position. RBA No. 78/2017 is a general procedure circular and do not make any distinction between cash transactions or journalized transactions for debits received by Zonal Railways through TCs.

Some of the payments to Railway PSUs viz., IRFC, RVNL, IRCON, RITES, etc are made centrally by PAO/Railway Board on behalf of Zonal Railways. These PSUs submit their Invoices in respect of Works carried out by them pertaining to Zonal Railways, to Railway Board. Thereafter Sanction Orders are issued by the concerned nodal Directorate. PAO/Railway Board makes payments duly carrying out appropriate ITC Flags and passes on the Debits to Zonal Railways through TCs. **It is assumed that due regard to accounting treatment duly accounting Full ITC or Partial ITC amount are done by debiting MAR/MAC-GST as the case maybe and not debited to the final head. This may be reviewed immediately for 2024-2025.** It is once again reiterated that proper accounting as per Railway Board's instruction is the responsibility of the Zonal Railways/Production Units.

As laid down in Railway Board's GST Circular No. 13/2018 dated 28th March, 2018, the entire exercise of the expenditure data in consultation with GST Consultants engaged by each Zonal Railways/Production Units, for the financial year 2024-2025 and corresponding passing of necessary accounting entry under Misc. Advance (Capital or

I/3121292/2025

Revenue) and final expenditure may be carried out immediately. It may be ensured that March'2025 Accounts is prepared after this exercise. For this purpose, it may be necessary to keep the office open during the ensuing holidays. Necessary instructions may be required to be issued in this regard.

Signed by
Basant Kumar Singh
Date: 27-03-2025 18:45:42

(Basant K. Singh)
PED/Accounts
Railway Board

Copy To:
All PFAs :Zonal Railways/Production Units

भारत सरकार/Government of India
रेल मंत्रालय/Ministry of Railways
रेलवे बोर्ड/Railway Board

अति तत्काल

आरबीए सं. 08/2025
जीएसटी परिपत्र सं. 03/2025

सं. 2017/एसी-II/1/6/जीएसटी/मेन/वॉल्.IV

दिनांक 27 मार्च 2025

महाप्रबंधक,
सभी क्षेत्रीय रेलें/उत्पादन इकाइयां

विषय : मार्च 2025 के खातों में इनपुट टैक्स क्रेडिट की समीक्षा और उसका लेखा-जोखा।

संदर्भ : जीएसटी लेखा प्रक्रिया : इनपुट टैक्स क्रेडिट - आरबीए सं. 78/2017 / दिनांक 22.06.2017 का जीएसटी परिपत्र सं. 22.

****

रेलवे बोर्ड द्वारा समय-समय पर क्षेत्रीय रेलों एवं उत्पादन इकाइयों को जीएसटी का कड़ाई से अनुपालन करने के संबंध में निर्देश जारी किए जाते रहे हैं। यह सुझाव दिया गया था कि इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) की समीक्षा सावधानीपूर्वक की जानी चाहिए और जीएसटी नियमों के अनुसार आईटीसी फ्लैगिंग में संशोधन (यदि आवश्यक हो) किए जाने चाहिए। ऐसे संशोधन करने के लिए आईपास में सुविधा उपलब्ध है। इसके अलावा, लेखा में विस्तृत लेखा प्रविष्टियों को पूरा करने, लेखा के मुख्य शीर्ष में इनपुट पर जीएसटी भुगतान को सटीकता से दर्शाने अथवा विविध अग्रिम लेखा के लिए (टी4 या सी2 फ्लैग के मामले में) दिनांक 22.06.2017 की आरबीए सं.78/2017 के माध्यम से विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए थे, ताकि खातों में व्यय की वास्तविक स्थिति को दर्शाया जा सके। आरबीए सं.78/2017 एक सामान्य प्रक्रिया वाला परिपत्र है और यह क्षेत्रीय रेलों द्वारा टीसी के माध्यम से प्राप्त जमा राशि के लिए नकद लेन-देन या खाते में दर्ज लेने-देन के बीच कोई विभाजन नहीं करता है।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों यथा- आईआरएफसी, आरवीएनएल, इरकॉन, राईट्स आदि के लिए कुछ भुगतान क्षेत्रीय रेलों की ओर से वेतन एवं लेखा अधिकारी/रेलवे बोर्ड द्वारा केन्द्रीकृत रूप से किए जाते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के ये उपक्रम क्षेत्रीय रेलों से संबंधित उनके

द्वारा किए गए कार्यों के संबंध में अपने चालान रेलवे बोर्ड को प्रस्तुत करते हैं। तत्पश्चात् संबंधित नोडल निदेशालय द्वारा स्वीकृति आदेश जारी किए जाते हैं। वेतन एवं लेखा अधिकारी/रेलवे बोर्ड उपयुक्त आईटीसी फ्लैग के साथ भुगतान करता है एवं टीसी के माध्यम से क्षेत्रीय रेलों को डेबिट करता है। यह माना जाता है कि लेखांकन को ध्यान में रखते हुए पूर्ण आईटीसी अथवा आंशिक आईटीसी राशि का लेखा-जोखा एमएआर/एमएसी-जीएसटी जैसा भी मामला हो को डेबिड करके किया जाता है और इसे अंतिम शीर्ष में डेबिट नहीं किया जाता है। 2024-2025 के लिए इसकी तत्काल समीक्षा की जानी चाहिए। एक बार पुनः यह दोहराया जाता है कि रेलवे बोर्ड के निर्देशानुसार सही लेखांकन क्षेत्रीय रेलों/उत्पादन इकाइयों की जिम्मेदारी है।

रेलवे बोर्ड के दिनांक 28 मार्च, 2018 के जीएसटी परिपत्र सं. 13/2018 में उल्लेख किए अनुसार, प्रत्येक क्षेत्रीय रेलों/उत्पादन इकाइयों द्वारा नियुक्त जीएसटी परामर्शदाताओं के परामर्श से वित्त वर्ष 2024-25 के लिए व्यय के आंकड़ों की समुचित कार्रवाई तथा विविध अग्रिम (पूंजी एवं राजस्व) और अंतिम व्यय के तहत आवश्यक लेखा प्रविष्टियां तत्काल पारित की जानी चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इस प्रक्रिया के उपरांत ही मार्च, 2025 का लेखा तैयार किया जाए। इस उद्देश्य के लिए, आगामी छुट्टियों के दौरान कार्यालय को खुला रखना आवश्यक हो सकता है। इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी किए जाने की आवश्यकता हो सकती है।

(बसंत के. सिंह)
प्रधान कार्यपालक निदेशक/लेखा
रेलवे बोर्ड

प्रतिलिपि प्रेषित :

प्रधान वित्त सलाहकार, सभी क्षेत्रीय रेलें/ उत्पादन इकाइयां।